2023/207 ✓ 8/8/2023

कोठारी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289

ता. पेशी स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमांक 5
111-128	155/23	26/06/23	3/10/23 Anke	

उनवान

श्री छीतरलाल पिता खरदू बलाई ~~श्री कन्हैयालाल~~ श्री किशन बलाई

निवासी धनौदा ---------------- निवासी ~~डि~~ धनोदा ------

[illegible]

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री -- श्री --

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

धीरलाल बनाम कन्हैयालाल

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 155/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/06/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 8/8/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
29/8 8/8/23	29/8/23 अग्रिम आदेश उपखण्ड अधिकारी	
29/8/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 5/9/23 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
5/9/2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 3/10/2023 को वास्ते यु. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
3/10/23	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की बाद तामीलें प्राप्त हो चुकी है। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण को तीन बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं पृथक से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 155/2023 तारीख दायर 26/06/2023

छीतरलाल पुत्र बरदा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 ....प्रार्थी

बनाम्

1. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. कन्हैयालाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. भंवरलाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. मांगीलाल पुत्र बरदा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0लै0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 03/10/2023

प्रार्थना पत्र छीतरलाल धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 172/1 रकबा 0.3076 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखूर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 172/1 रकबा 0.3076 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि [illegible] /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 155/2023 तारीख दायर 26/06/23

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ फैसला 03/10/23

विषय :- प्रकरण संख्या 155/23 पत्थरगढ़ी बाबत्।

छीतरलाल पुत्र बरदा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. कन्हैयालाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. भंवरलाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. मांगीलाल पुत्र बरदा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 172/1 रकबा 0.3076 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned with OKEN Scanner